न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी
नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

अधिसूचना धारा 21 भू–अर्जन अधिनियम 2013

//सूचना पत्र//

क्रमांक/5534/अ.विअ./भू–अर्जन/2016 नारायणपुर दिनांक 28.09.2016

एतत् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ।

यदि किसी भी हितबद्व पक्षकार ब्यक्तियो को दावा सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर ब्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो कर अपने –अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के प्रतिकर के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता हैं ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– कृषि भूमि

(क) जिला – नारायणपुर

(ख) तहसील – नारायणपुर

(ग) नगर/ग्राम – नेलवाड़

(घ) लगभग क्षेंफल – 3.89 हे.

क्रमाक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर / रकबा	निर्धारित मुआवजा राशि
01	02	03	04
01	श्री आयतुराम , मंगलराम,सुखलाल,सुकदेव पिता कोरगे मु.मांगेबाई बेवा चैतराम ग्राम नेलवाड़	23/1रकबा 0.62 एवं खसरा नम्बर ,27 रकबा 2.02 हेक्टयर	68,36,744.00 रूपये
02	दशमती पिता सोमारू	खसरा न.28 रकबा 1.250 हेक्टयर	28,36,937.5रूपये

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण :– 220/132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु ।

(3) उक्त भू–अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं हैं ।

28.9.2016

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
नारायणपुर